



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14092023-248740
CG-MH-E-14092023-248740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945

No. 638]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 13 सितम्बर, 2023

स. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/150.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिल्डिंग ए, यूनिट 205ए, दूसरी मंज़िल, पीरामल अगस्त्य कारपोरेट पार्क, कमान्नी जंक्शन, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070 में स्थित है, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत 16 सितम्बर 2023 को प्रारंभ होने वाली और 15 सितम्बर 2024 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) की बाबत, यहाँ नीचे दी हुई शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् निर्धारित आदि की जाएँ के तहत, प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेगा।

अमरजीत सिंह, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/असा./419/2023-24]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th September, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/150.—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Metropolitan Stock Exchange of India Limited, having its registered office at Building A, Unit 205A, 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, L.B.S. Road, Kurla (West), Mumbai-400070 and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 16th day of September, 2023 and ending on the 15th day of September, 2024 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Exchange shall comply with conditions as may be prescribed by SEBI from time to time

AMARJEET SINGH, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./419/2023-24]